राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डूंगला जिला– चित्तौड़गढ़

क्रमांक/सम्पर्क पो0/2021/109 दिनांकः– 09/01/2021

प्रेषितिः

तहसीलदार,
डूंगला

विषयः– सम्पर्क पोर्टल परिवाद संख्या–01210789293556 द्वारा भागीरथ
ग्राम–कुम्हारखेड़ा संगेसरा के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त परिवाद में आप द्वारा चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को एक न्यायिक प्रक्रिया माना है ।

अतः आपको निर्देशित किया जाता ग्राम कुम्हारखेड़ा संगेसरा में चारागाह भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाने हेतु न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुऐ नियमानुसार चारागाह भूमि के अतिक्रमियों के विरूद्व धारा 91(6) के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस कार्यालय में भिजवाई जाना सुनिश्चित करें। स्तर–1 पर आप द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के कारण सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज अधिकांश प्रकरण परिवादी के असंतुष्ट होने से प्रकरण स्तर –2 पर स्वतः स्थानान्तरित हो जाते है। जबकि अतिक्रमण के मामलों में समस्त कार्यवाही तहसीदार के स्तर पर ही किये जाने का प्रावधान है। सम्पर्क पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण हेतु जिला नियंत्रण कक्ष एवं जिला कार्यालय से बार–बार निर्देश प्राप्त हो रहे है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज सम्पूर्ण प्रकरणों में पूर्ण रूचि लेकर परिवादों का निस्तारण करगें।

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट,डूंगला

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Kumar Tada
Date: 2022.10.18 16:38:12 IST
Reason: SelfAttested